कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चित्तौड़गढ

कार्यालय – आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 में अभिस्तावित संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों को श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/प्रयोगशाला सहायक–ग्रेड।।।/सी.भ./2016 दिनांक 07.02.2018 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को **प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–।।।** के पद पर दो वर्ष की अवधि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय/विद्यमान वेतन मान के नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर परामर्श शिविर में उपस्थित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत विकल्प के आधार पर एवं उपस्थित नहीं होने अथवा उपस्थित होने के उपरान्त विद्यालय का चयन नहीं करने पर शेष रही रिक्तियों पर पदस्थापित किया जाता है। नियुक्त अभ्यर्थीयों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 18500/– रू. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(8)शिक्षा–2/2015 दिनांक 19.12.2017 में अंकित बिन्दु संख्या 2(ए से जी) के अनुसार परामर्श शिविर आयोजित कर की गयी है।

संबधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:–

1. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं/प्रमाणपत्रों, आयु, जाति, आरक्षण संबन्धी एंव अन्य दस्तावेजो की मूल दस्तावेजो से मिलान कर उसकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखो में सुरक्षित रखेंगें। कोई भिन्नता /संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओ से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बन्धी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिर्पोट प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावे। साथ ही सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नही होने संबधी आशय का आवश्यक शपथ–पत्र 10/– रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/– रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निधारित प्रपत्र में पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पायी जावे तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए, महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। **उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण कराया जावें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।**
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे की वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र चस्पा है।
9. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
10. **कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ लेंवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एंव दस्तावेज सही है , इनके त्रुटिपूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव इनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।**
11. विवाहित एंव अविवाहित अभ्यर्थियों से संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/-रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दहेज नही लेने सम्बधीं शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगें।
12. कार्यग्रहण करवानें से संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर पदस्थापित स्थान पर दिनांक 28.02.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनांए सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। **इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना तुरन्त अपडेट करे।**

(हेमन्त कुमार द्विवेदी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) चित्तौड़गढ़

क्रमांकः-जिशिअचि-माध्य/संस्था-I/प्र0शा0स0-III /नियु./2018/489(1-2) दिनांकः-12/02/2018

प्रतिलिपिः-
1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, माध्यमिक, उदयपुर।
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य राउमावि ....
6. सम्बन्धित श्री ....
7. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) चित्तौड़गढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ,माध्यमिक, चित्तौड़गढ़

क्रमांक :–जिशिअचि–माध्य / संस्था–1 / प्र0शा0स0– I I I / नियु. / 2018 / 489(1–2) दिनांक :– 12 / 02 / 2018

आदेश संख्या – 01 (काउन्सलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी)

क्र.स.	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी निवास पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	पंचायत समिति
1	896	402562	RACHITA MEHTA	BUNDI LAL MEHTA	03-08-1986	सी.सै. स्कूल के पास , कपासिया बाजार, वार्ड नं. 17, बड़ीसादड़ी, चित्तौड़गढ़	GEN	GENF	राउमावि सैंथी	चित्तौड़गढ़
2	1528	426259	SUMAN NARUKA	RAM KUMAR	28-08-1988	गांव सिकरोड़ी, पो. करणपुरा, तह. भादरा, जिला हनुमानगढ़	GEN	GENF	राउमावि आजोलिया का खेड़ा	गंगरार
3	1676	524943	LALITA CHOUDHARY	HEMRAJ CHOUDHARY	04-05-1998	ग्रा. नवरंगपुरा, पो. बगड्या, तह. पीपलू जिला टोंक	OBC	GENF	राउमावि बस्सी	चित्तौड़गढ़
4	2426	609624	BHAVANA YADAV	NANAK RAM YADAV	10-02-1997	वार्ड नं. 19 विकासनगर, हरीपुरा रोड, विजयनगर, गंगानगर	OBC	OBSF	राउमावि गंगरार	गंगरार
5	2947	442192	KIRAN MEENA	DEV KARAN MEENA	07-08-1995	ग्राम महुआ पो. भटवाड़ा, तह. मांगरोल, जिला बारां	ST	STF	राबाउमावि रावतभाटा	भैसरोड़गढ़
6	1119	579009	HEERA LAL DHAKER	ROOP LAL DHAKER	25-08-1990	मु0पो0 सादी, तह0 बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़	OBC	OBCM	राउमावि बेगूं	बेगूं
7	1181	489219	HEM CHAND MALAV	RAMPRATAP MALAV	08-06-1997	ग्रा0पो0 सेतकोलू तह0 छीपाबड़ौद जिला बारां	OBC	OBCM	राउमावि रावतभाटा	भैसरोड़गढ़
8	1238	558132	JUGAL KISHORE NAGAR	RAMKALYAN NAGAR	07-08-1983	वार्ड नं0 11 धाकड़ मोहल्ला ग्रा0पो0 तलाव तह0 पीपल्दा जिला कोटा	OBC	OBCM	राउमावि निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा
9	2746	492838	HARIRAM MEENA	HARLAL MEENA	07-09-1996	ग्राम बाजोली, पो0 बालून्दा, तह0 दूनी, टोंक	ST	STM	राउमावि भादसोड़ा	भदेसर
10	2802	473189	ASHOK KUMAR MEENA	RAM KUMAR MEENA	09-02-1991	ग्राम पो0 लुहारीकलां, तह0 जहाजपुर, भीलवाड़ा	ST	STM	राउमावि सावा	चित्तौड़गढ़
11	2809	587535	LATUR LAL MEENA	BHANVAR LAL MEENA	02-07-1995	ग्राम जरखोदा, पो. गुमानपुरा, तह. व जिला बून्दी	ST	STM	राउमावि आकोला	भोपालसागर
12	2844	632060	MASTRAM	RAM RATAN	08-06-1985	ग्राम छोडेदा, पो. जलोदा, तह. केपाटन, बून्दी	ST	STM	राउमावि फाचर अहिरान	निम्बाहेड़ा

(हेमन्त कुमार द्विवेदी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चित्तौड़गढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ,माध्यमिक, चित्तौड़गढ़

क्रमांक :–जिशिअचि–माध्य / संस्था–1 / प्र0शा0स0– I I I / नियु. / 2018 / 489(1–2) दिनांक :– 12 / 02 / 2018

आदेश संख्या – 02 (काउन्सलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी)

क्र.स.	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी निवास पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	पंचायत समिति
1	1529	643683	SUMAN MAHERA	ASHOK KUMAR MAHERA	28-12-1988	रामविलास पैलेस के पास, तीन बड, करौली	GEN	GENF	राउमावि बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी
2	2529	607783	LOKESHI MEENA	RAMDAYAL MEENA	08-08-1996	ग्राम मांच पो. अटा करौली	ST	STF	राउमावि बोहेड़ा	बड़ीसादड़ी
3	689	411756	SUNIL KUMAR	VIRDHA RAM	30-04-1991	संतोष नगर, पो. शोभालालजैतमाल, तह. धोरीमन्ना जिला बाड़मेर	OBC	GENM	राउमावि राशमी	राशमी
4	2693	505566	VIKAS MEENA	BHERU LAL MEENA	20-07-1992	ग्राम नीलखेड़ी , पो0 गोपालपुरा, तह0 लाड़पुरा, कोटा	ST	STM	राउमावि गादोला	निम्बाहेड़ा

(हेमन्त कुमार द्विवेदी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चित्तौड़गढ़